भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1792
10.03.2025 को उत्तर के लिए

आक्रामक विदेशी प्रजातियों का उन्मूलन

1792. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, लैंटाना कमारा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जलकुंभी और अन्य बाहरी खरपतवार प्रजातियों जैसे खरपतवारों जो जैव विविधता, जल निकायों और कृषि के लिए खतरा हैं, को नियंत्रित करने और उनका उन्मूलन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने बाहरी खरपतवार वाली प्रजातियों के व्यवस्थित उन्मूलन के लिए कोई राष्ट्रीय नीति या कार्य-योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार खरपतवार प्रजातियों के नियंत्रण और उन्मूलन में सक्रिय रूप से लगे अनुसंधान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों या अन्य संगठनों को कोई प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) तेजी से फैलने वाली प्रजातियों को नियंत्रित करने और उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

(i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्रों और अन्य भूदृश्ययों के लिए प्रबंधन योजना की प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं में तेजी से फैलने वाली बाह्य पर्यावास की प्रजातियों के उन्मूलन संबंधी उपायों को शामिल करने की भी परिकल्पना की गई है।

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अपनी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ एवं हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तेजी से फैलने वाली बाह्य पर्यावास की प्रजातियों को नियंत्रित करने सहित वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(iii) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को वर्ष 2022 में संशोधित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने तेजी से फैलने वाली बाह्य पर्यावास की प्रजातियों, जीव-जंतुओं के आयात, व्यापार, व्यवसाय या प्रचार-प्रसार को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया है, जो भारत में वन्य जीवों और उनके पर्यावास के लिए खतरा पैदा किया जा सके।

*****